



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा  
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस  
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :- 24/2014

**प्रार्थीगण**

1. रमजीराम पुत्र श्री नारायणराम
2. अमराराम पुत्र श्री नारायणराम
3. जालाराम पुत्र श्री नारायणराम
4. तेजाराम पुत्र श्री नारायणराम
5. प्रतापराम पुत्र श्री नारायणराम
6. श्रीमति गैरीदेवी बेवा नारायणराम  
सभी जातियान पटेल निवासीगण  
पटेलनगर, तहसील बिलाड़ा,

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1. ओगड़राम पुत्र श्री गुणेशराम
2. पप्पूराम पुत्र श्री पूनाराम
3. चैनाराम पुत्र पूनाराम  
सभी जातियान पटेल  
निवासीगण पटेलनगर, तहसील  
बिलाड़ा जिला जोधपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये  
तहसीलदार बिलाड़ा

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट**

निर्णय

दिनांक :- 24.06.2017

पत्रावली आज बमुकाम पटेलनगर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के नोटिस पर्याप्त रूप से तामिल नहीं हुए हैं जिसके लिए प्रार्थी को तारीख पेशी 31.08.2016 को पुनः नोटिस पेश करने के आदेश दिये गये फिर भी प्रार्थी अधिवक्ता ने नियमानुसार सात दिवस के भीतर-भीतर नोटिस पेश करने के न्यायालय आदेश की पालना नहीं की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के अन्तर्गत खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फ़ैसलशुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। मूलवाद संख्या 39/2014 रमजीराम बनाम ओगड़राम के संलग्न हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा